

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. लालुराम पिता कन्ना जी मीणा, निवासी काशिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. पेमा पिता वक्ता जी मीणा, निवासी काशिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. संतोष पिता नाथू जी मीणा, निवासी काशिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. इन्द्र पिता देवा जी मीणा, निवासी काशिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. हीरा पिता सवा जी मीणा, निवासी काशिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. बाबूलाल पिता गणेशलाल जी औड़, निवासी कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी बाबूलाल जी औड़, निवासी कुराबड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध
 निर्णय जिला कलक्टर, उदयपुर
 दिनांक 30-08-2017 प्र.सं. 1/16

-----::-----

- उपस्थित :-**
- 1- श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्तगण
 - 2- श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रे. सं. 1, 2
 - 3- श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

-----::-----

निर्णय

दिनांक 14-10-2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तगण द्वारा रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एक आवेदन धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काशिया, कुराबड़, चोरिया एवं परमदा के संयुक्त आधिपत्य का एक सार्वजनिक शिव मंदिर

है, जो ग्राम परमदा के आराजी नंबर 73 रकबा 2.6850 हैक्टर भूमि पर स्थित है, जो संवत् 2058 से 2061 की जमाबन्दी में बिलानाम होकर सभी गांव के लोग आते जाते हैं एवं सेवा पूजा करते हैं, किन्तु विपक्षीगण ने दिनांक 21-06-2002 को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने आपको भूमिहीन काश्तकार बताकर उक्त आराजी में से 0.5000 का आवंटन करवा लिया है, जिसकी जानकारी ग्रामवासियों को नहीं थी। अभी दिनांक 18-11-2015 को विपक्षीगण मौके पर भूमि नपती करवाने आये तो गांव वालों को उक्त आवंटन की जानकारी हुई। विपक्षीगणों द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन प्राप्त किया गया है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः बिलानाम दर्ज की जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि भूमि उसे विधिवत आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया है। आराजी नंबर 73 पर कोई शिव मंदिर नहीं है। आवंटन कमेटी द्वारा पूर्व प्रक्रिया का पालन कर आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30-08-2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03-10-2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट मंगवाये बिना मनमकसूद तरीके से अत्यन्त जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। यदि उनके द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई जाती तो स्पष्ट हो जाता कि भूमि आवंटन योग्य ही नहीं थी, क्योंकि वह पहाड़ी होकर कंकरीली जमीन है, जो काश्त योग्य नहीं है। रेस्पोंडेन्टगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर झूठी खसरा गिरदावरी बनवायी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील

स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोंडेन्टगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधिवत उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 14-08-2018 पेज 532, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1286 एवं आर.आर.डी. 14-07-2018 पेज 453 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करवाया।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 21-06-2002 को विवादित आराजी नंबर 73 में से रकबा 0.5000 हैक्टर का विधिवत आवंटन रेस्पोंडेन्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया जाकर दिनांक 16-07-2002 को उन्हें विधिवत कब्जा सुपुर्द किया गया है। आवंटन पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। अपीलान्तगण का यह कथन है कि आवंटन तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है एवं विवादित भूमि पर शिव मंदिर बना हुआ है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को विधिवत सुनकर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार निर्णय पारित किया है, जिसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30-08-2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

